रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2015/फाल्गुन 18, 1936
No. 75] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2015/PHALGUNA 18, 1936

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुड़गांव, 11 फरवरी, 2015

सं. जेईआरसी-1/2009.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इसके कारण से प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पिछले प्रकाशन के बाद, संयुक्त गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए विद्युत विनियामक आयोग एतदद्वारा मूल विनियमों के पहले, दूसरे और तीसरे संशोधनों के साथ पठित गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र (कार्य संचालन) विनियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण:**

I. इन विनियमों को गोवा और संघ शासित क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 कहा जाएगा।

II. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

III. ये विनियम गोवा राज्य और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीप, लक्षयदीप और पुड्डुचेरी पर लागू होंगे।

2. **मूल विनियम, 2009 के विनियम 6 में संशोधन**

विनियम 6 (i) (क) के दूसरे वाक्य में 'निर्धारित' शब्द के स्थान पर 'उल्लेख करें' प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. **मूल विनियम, 2009 के विनियम 7 में संशोधन**

I. विनियम 7 के शीर्षक को "शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है।

II. विनियम 7(i) और (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

आयोग अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों को, जैसा वह उपयुक्त समझे, आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसार, लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सदस्य, सचिव, आयोग के अधिकारियों या अन्य किसी व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है, तथापि, इसमें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अंतर्गत विवाद निपटाने और धारा 181 के अंतर्गत विनियम बनाने की शक्तियां शामिल नहीं होंगी।

4. मूल विनियम, 2009 के विनियम 9 में संशोधन (तीसरे संशोधन विनियम के साथ पठित)

विनियम 9 (ii) और इसके अंतर्गत परंतुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"विनियम 9(ii)(क) : कार्य के संचालन हेतु आयोग की बैठकें बुलाने तथा इसके कार्यों को करने के लिए दो का कोरम होना चाहिए। तथापि, यदि आयोग के अध्यक्ष सहित केवल एक सदस्य उपलब्ध हो तो आयोग की कार्यवाहियों के लिए कोरम एक का होगा।

विनियम 9 (ii)(ख): जहां अध्यक्ष या सदस्य आयोग की विधिवत बुलाई गई बैठक में भाग लेने में असमर्थ हो, जिसके लिए उन्हें पर्याप्त कारण दर्शाते हुए पूर्व सूचना दी गई हो या ऐसी स्थिति, जहां अध्यक्ष या सदस्य का पद रिक्त हो, वहां सदस्य या अध्यक्ष, जैसी स्थिति हो, बैठक की अध्यक्षता करेंगे और यह वैध रूप से कोरम का गठन करेंगे। कोई कार्रवाई या आयोग की कार्यवाहियां तथा लिए गए निर्णय, जिसमें किसी पिछले पारित निर्णय या आदेश की समीक्षा शामिल है, पर सवाल नहीं उठाया जाएगा या इस आधार पर अवैध नहीं होगा।

5. मूल विनियम, 2009 के विनियम 12 में संशोधन

मूल विनियम, 2009 के विनियम 12(iii) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाता है:-

शुल्क, राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि हस्तांतरण (एनईएफटी) या वास्तविक समय सकल व्यवस्था (आरटीजीएस) आदि के जरिए भी दिया जा सकता है। तथापि बैंक के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण प्रभार (सेवा कर सहित) का भुगतान याचिकाकर्ता या व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा जो आयोग को भुगतान कर रहा है।

6. मूल विनियम, 2009 के विनियम 15 में संशोधन

मूल विनियम 2009 के विनियम 15 (vii) की पहली पंक्ति में 'अध्यक्ष' शब्द के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाता है:—

''या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्य''

7. मूल विनियम, 2009 के विनियम 16 में संशोधन (दूसरे संशोधन विनियम के साथ पठित)

I. विनियम 16 (i)(ख) में शब्द 'संदेशवाहक' शब्द के बाद ''पावती लेने पर'' शब्द जोड़ा जाता है।

II. विनियम 16(i)(ड.) के शुरू में निम्नलिखित जोड़ा जाता है: ''फैक्स या ई-मेल द्वारा या''

III. विनियम 16(vi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है:

जहां कोई याचिका प्रकाशित की जानी हो, वहां इसे आयोग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तीन (3) समाचार पत्रों (एक देशी समाचार पत्र में) में सात (7) दिनों के न्यूनतम अंतराल पर या जैसा आयोग निदेश दे, प्रकाशित किया जाएगा :

बशर्ते कि ऐसे मामलों, जहां मुख्य भूमि से दूर लाइसेंसधारी के भौगोलिक स्थल की प्रकृति के कारण या उस स्थल में समाचार पत्र का परिचालन न होने के कारण, याचिकाकर्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह स्टेकहोल्डरों को याचिका या उसकी विशेषताओं के बारे में सूचना दे और पब्लिक नोटिस या पब्लिक घोषणा प्रणाली या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अन्य कोई उपयुक्त माध्यम से सूचना दे जिसमें सार्वजनिक नोटिस या सार्वजनिक घोषणा प्रणाली या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल हो।

8. **मूल विनियम, 2009 के विनियम 20 में संशोधन**

विनियम 20(ii) में ''मांग पत्र'' शब्द को ''मांग-पत्र देना'' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाता है।

9. **मूल विनियम, 2009 के विनियम 22 में संशोधन**

मूल विनियम, 2009 के विनियम 22 (II) की पहली पंक्ति में ''आदेश'' शब्द के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाता है:—

"असहमत सदस्य की टिप्पणियां, यदि कोई हों, सहित"।

10. **मूल विनियम, 2009 के विनियम 25 में संशोधन**

विनियम 25(x) में 'रुपए 3/-' के स्थान पर 'रुपए 10/-'' प्रतिस्थापित किया जाता है।

11. **मूल विनियम, 2009 के विनियम 27 में संशोधन**

मूल विनियम, 2009 के विनियम 27(i)(ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है:-

''ख (i) आयोग इस बात पर संतुष्ट होने पर कि लाइसेंसधारी लाइसेंस की किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहा है या कोई लाइसेंसधारी अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम के किसी प्रावधान का अनुपालन करने में किसी भी समय असफल रहा है तो वह आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसार लिखित में आदेश करके किसी व्यक्ति (जांच प्राधिकारी) को उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी के कार्यों की जांच करने और ऐसे व्यक्ति/जांच प्राधिकारी द्वारा की गई किसी जांच की रिपोर्ट आयोग को देने को कह सकता है :

बशर्ते कि आयोग के आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसार जांच प्राधिकारी, जहां-कहीं आवश्यक हो, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी जांच में सहायता के उद्देश्य से किसी अधिवक्ता या अन्य किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।

ख(ii) आयोग लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी के बही-खातों में न्यूनतम जानकारी बनाए रखने का विनिर्देश दे सकता है, कि इस सूचना को किस तरह से बनाए रखा जाएगा, इस संबंध में लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा जांच और अन्य सत्यापन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति तथा इससे संबद्ध अन्य कार्य करने होंगे, जो उनके विचार में, जांच प्राधिकारी को उनके कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक हों।

ख(iii) आयोग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी के कार्यों की जांच अधिनियम की धारा 128 के अंतर्गत निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

ख(iv) इस विनियम के अंतर्गत की गई किसी जांच के सभी व्यय और इससे संबद्ध आकस्मिक व्यय को लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी, जैसी स्थिति हो, द्वारा वहन किया जाएगा, और उसे लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा देय ऋणों को प्राथमिकता दी जाएगी और इनकी भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी।

12. **मूल विनियम, 2009 के विनियम 29 में संशोधन**

विनियम 29(i) की दूसरी पंक्ति में शब्द ''दो (2)'' के स्थान पर शब्द तीन (3) प्रतिस्थापित किया जाता है।

13. **मूल विनियम, 2009 के विनियम 30 में संशोधन**

मूल विनियम 2009 के विनियम 30(iii) के अंत में विनियम 30(iv) को निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

विनियम 30(iv): ''यदि कोई लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी किसी मूल्य की वसूली करती है या आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक का प्रभार लेती है तो वह व्यक्ति, जिसने ऐसे मूल्य या प्रभार का भुगतान किया है, द्वारा अतिरिक्त राशि को भुगतान के समय प्रचलित बैंक दर के समकक्ष ब्याज सहित वसूली कर सकता है बशर्ते कि लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा वहन की गई अन्य कोई देनदारी न हो।

14. **मूल विनियम, 2009 के विनियम 32 में संशोधन**

विनियम 32(i) में उल्लिखित 'सामान्यता' शब्द को ''प्राय:' शब्द से तथा 'अधिक' शब्द के बाद, शब्द 'बार-बार' जोड़ा जाता है।

15. **मूल विनियम, 2009 के विनियम 33 में संशोधन**

मूल विनियम, 2009 के विनियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है:-

''अधिनियम तथा उसके नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत खुदरा शुल्क निर्धारित करते समय, आयोग किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को अनुचित अधिमान नहीं देगा बल्कि किसी विनिर्दिष्ट अवधि या समय के दौरान उपभोक्ता के लोड फैक्टर, पॉवर फैक्टर, वोल्टेज, किसी विनिर्दिष्ट अवधि या समय के दौरान बिजली की कुल खपत, जब आपूर्ति की आवश्यकता हो या किसी क्षेत्र की भौगोलिक प्रकृति, जिसके लिए आपूर्ति की आवश्यकता है, में उसकी प्रकृति और उद्देश्य के अनुसार अंतर कर सकता है या विविध टैरिफ निर्धारित कर सकता है।''

16. **मूल विनियम, 2009 के विनियम 36 में संशोधन**

विनियम 36 (i): संख्या ''36(iv)(ख)'' के स्थान पर संख्या और शब्द ''35(iv)(ख) और 35(iv)(ञ)'' प्रतिस्थापित किया जाता है ।

17. **मूल विनियम, 2009 के विनियम 61 में संशोधन**

I. विनियम 61 के शीर्षक को ''लाइसेंसधारी के निष्पादन के मानक' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

II. विनियम 61 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाता है:-

''लाइसेंसधारी को अधिनियम की धारा 57 से 59 के अनुसार इस मामले में अनुपालन सुनिश्चित करना होगा''।

18. **मूल विनियम, 2009 के विनियम 65 में संशोधन**

विनियम 65 (i) की पहली पंक्ति में 'कंपनियां' शब्द के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाता है:-

''या उनमें से किसी एक के बीच, जैसी स्थिति हो'' और शब्द ''किया जा रहा है'' को शब्द 'किया जाता है' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

19. **मूल विनियम, 2009 के विनियम 73 में संशोधन**

I. विनियम 73 (च)(iv): शब्द 'उपभोक्ता अधिकार, निपटान' को शब्द 'उपभोक्ता अधिकार विवरण' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

II. विनियम 73 (च)(viii) में शब्द 'और' को हटाया जाता है।

III. विनियम 73(च)(ix) के अंत में विनियम 73(च)(x) से विनियम 73(च)(xii) को निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—

''73(च)(x)राज्य के अंदर/यूटी इलेक्ट्रिकसिटी ट्रेडिंग'',

''73(च)(xi) नवीकरणीय ऊर्जा का प्रापण तथा नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) लक्ष्यों को पूरा करना तथा;

''73(च)(xii)अन्य कोई कोड, जो आयोग आवश्यक समझे।

20. मूल विनियम, 2009 के विनियम 74 में संशोधन

I. विनियम 74 (क) समीक्षा याचिका के अलावा याचिका के निपटान की समय-सीमा :—

बचत, जैसा कि टैरिफ याचिका के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 में उल्लेख किया गया है और अनुदान के लिए आवेदन या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 143 के अंतर्गत कार्यवाहियों के संबंध में निपटान अधिकारी द्वारा जांच आयोजित करने की प्रक्रिया में आयोग प्रवेश की तारीख से छह महीने के अवधि के अंदर अंतिम रूप से याचिका का निपटान करेगा।

बशर्ते कि जहां याचिकाओं का छह महीने में निपटान नहीं किया जाता है, वहां आयोग याचिकाओं के निपटान में लगने वाले समय के कारणों को दर्ज करेगा।

II. मूल विनियम, 2009 के विनियम 74 को प्रतिस्थापित किया जाता है तथा इसकी संख्या बदलकर विनियम 74(ख) की जाती है जो निम्न प्रकार है:-

विनियम 74(ख) निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा :—

I. आयोग किसी व्यक्ति या संबंधित पार्टियों के आवेदन पर ऐसे निर्णयों, निदेशों या आदेशों के बनाए जाने के 45 दिनों के अंदर ऐसे निर्णयों, निदेशों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है तथा ऐसे उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है जैसा आयोग उपयुक्त समझता हो।

II. ऐसी समीक्षा के लिए आवेदन मूल विनियमों के अध्याय-II के अंतर्गत याचिका के अनुसार दायर किया जाएगा।

III. समीक्षा के आवेदन को आयोग के समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि में सूचीबद्ध किया जाएगा।

IV. यदि समीक्षा स्वीकार नहीं की जाती है तो समीक्षा याचिका/आवेदनों का सुनवाई की तारीख से 15 दिनों के अंदर निपटान किया जाएगा और यदि आवदेन स्वीकार हो जाता है तो प्रस्तुति की तारीख से दो माह की अवधि के अंदर निपटान किया जाएगा।

बशर्ते कि जहां समीक्षा संबंधी आवेदन का निर्धारित अवधि के अंदर निपटान नहीं किया जा सकता है वहां आयोग समीक्षा याचिकाओं/आवेदनों के निपटान में लिए गए अतिरिक्त समय के कारणों को दर्ज करेगा।

V. आदेशों में लिपिकीय या अंक संबंधी चूक होने या किसी गलती या भूलवश होने वाली चूक को आयोग द्वारा अपने निजी प्रस्ताव से या किसी पार्टी के आवेदन में किसी भी समय सही किया जाएगा।

21. मूल विनियम, 2009 के अध्याय-VIII (शुल्क और जुर्माना) के अंतर्गत शुल्क और प्रभार की 'अनुसूची' में संशोधन

अध्याय-VIII (शुल्क और जुर्माना) के विनियम 68 के अंतर्गत शुल्क और प्रभार की अनुसूची को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

अनुसूची

(कार्य संचालन विनियम, 2009 के विनियम 68 के संदर्भ में)

शुल्क और प्रभार

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपए में)
1	अधिनियम के अंतर्गत धारा 9 की उप-धारा(2) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत ट्रांसमिशन सुविधा की उपलब्धता के संबंध में विवाद का निपटान का व्यक्ति, जिसने आयोग को ऐसा विवाद भेजा है, द्वारा भुगतान किया जाएगा।	पहली 1 मेगावाट ट्रांसमिशन क्षमता के लिए 10,000 रुपए (दस हजार रुपए) तथा उसके बाद प्रति मेगावाट 5000 रुपए (पांच हजार रुपए), बशर्ते कि यह अधिकतम 5,00,000 रुपए (पांच लाख रुपए) हो।
2	अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने पर प्रारंभिक लाइसेंस शुल्क	संबंधित सरकार द्वारा शुल्क का निर्धारण किए जाने तक 5,00,000 रुपए (पांच लाख रुपए) का 'लेखागत' भुगतान।
3.	वार्षिक लाइसेंस शुल्क: (i) ट्रांसमिशन लाइसेंस (ii) वितरण लाइसेंस (iii) व्यापार लाइसेंस (iv) अन्य कोई लाइसेंस बशर्ते कि अधिनियम की धारा 14 के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें परंतुक में उल्लिखित लाइसेंसधारियों सहित सभी लाइसेंसधारियों द्वारा वार्षिक लाइसेंस शुल्क अग्रिम में देय होगा: बशर्ते आगे यह कि ट्रांसमिशन लाइसेंस के मामले में वार्षिक लाइसेंस शुल्क की गणना आगामी वित्तीय वर्ष की ट्रांसमिशन क्षमता संविधाओं की कुल अनुमोदित/अनुमानित मात्रा के आधार पर की जाएगी: बशर्ते यह भी कि वितरण लाइसेंस के मामले में वार्षिक लाइसेंस शुल्क की गणना आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की बिक्री से अनुमोदित/ अनुमानित राजस्व के आधार पर की जाएगी: बशर्ते यह भी कि जहां संविदागत वास्तविक ट्रांसमिशन क्षमता या बिजली की बिक्री से वास्तविक ट्रांसमिशन क्षमता, जैसी स्थिति हो, इस विनियम के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त अनुमोदित/ अनुमानित स्तर से भिन्न, लाइसेंस शुल्क में अधिशेष या कमी की गणना वास्तविक संविदागत ट्रांसमिशन क्षमता या वास्तविक राजस्व, जैसी स्थिति हो, को निम्नलिखित वर्ष के लिए	(i) वर्ष के दौरान या उसके भाग के रूप में ट्रांसमिशन क्षमता संविदाओं के लिए प्रति मेगावाट, 1,000 रुपए (एक हजार रुपए), बशर्ते कि न्यूनतम 10,00,000 रुपए (दस लाख रुपए) और अधिकतम 20,00,000 (बीस लाख रुपए) हो। (ii) बिजली की बिक्री से राजस्व का 0.10 प्रतिशत (कर और शुल्क छोड़कर)। (iii) जेईआरसी (विद्युत ट्रेडिंग) विनियम 2010 के खण्ड 6.5 के अनुसार। (iv) रुपए 1,00,000 (एक लाख रुपए)

	वार्षिक लाइसेंस शुल्क के अनुसार समायोजित किया जाएगा।	
4	अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन लेने हेतु आवेदन	लेनदेन, जिसके लिए अनुमोदन मांगा गया है, के मूल्य का 0.01 प्रतिशत बशर्ते कि यह न्यूनतम 5,00,000 रुपए (पांच लाख रुपए) तथा अधिकतम 20,00,000 रुपए (बीस लाख रुपए) हो।
5	अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन (i) लाइसेंसधारी द्वारा (ii) लाइसेंसधारी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति	(i) 1,00,000 रुपए (एक लाख रुपए) (ii) 50,000 रुपए (पचास हजार रुपए)
6	अधिनियम की धारा 19 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत लाइसेंस के संशोधन हेतु आवेदन लाइसेंसधारी द्वारा (i) लाइसेंसधारी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति।	(i) 10,00,000 रुपए (दस लाख रुपए) (ii) 1,00,000 रुपए (एक लाख रुपए)
7	ट्रांसमिशन सुविधाओं के प्रयोग में हस्तक्षेप की मांग करने के लिए अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत आवेदन।	1,00,000 रुपए (एक लाख रुपए)
8	अधिनियम की धारा 35 के परंतुक के अंतर्गत अधिशेष क्षमता की सीमा के संबंध में विवाद का निपटान।	5,00,000 रुपए (पांच लाख रुपए)
9	धारा 36 की उप-धारा (I) परंतुक के अधीन दरों, प्रभारों, निबंधन एवं शर्तों के निर्धारण के लिए आवेदन।	5,00,000 रुपए (पांच लाख रुपए)
10.	अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित धारा 2 की उप-धारा (47) तथा इसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट विनियमों, जो ऊपर के अधीन कवर नहीं है, के अंतर्गत गैर-विभेदकारी खुली पहुंच के प्रावधान से संबंधित विवादों का निपटान करना: (i) लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा भेजा गया। (ii) लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी, जिसने निर्माण किया है, और वह कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का रखरखाव और प्रचालन करता हो, द्वारा भेजा गया हो। उपभोक्ता/ उपभोक्ता प्रतिनिधि द्वारा भेजा गया।	(i) 5,00,000 रुपए (पांच लाख रुपए) (ii) 50,000 (पचास हजार रुपए) (iii) 10,000 रुपए (दस हजार रुपए)
11	अधिनियम की धारा 42 की उप-धाराओं (2), (3) और (4) के साथ पठित उप-धारा (47) तथा इसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट विनियमों के प्रावधान के संबंध में विवादों का निपटान: (i) नीचे (ii) में उल्लिखित उत्पादन कंपनी के अलावा लाइसेंसधारी या किसी उत्पादन कंपनी द्वारा भेजा गया। (ii) किसी वितरण लाइसेंसधारी या कोई व्यक्ति जिसने	(i) 5,00,000 रुपए (पांच लाख रुपए)

	कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण, रखरखाव और प्रचालन किया है, की वितरण प्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित उत्पादन कंपनी को भेजा गया।	(ii) 50,000 रुपए (पचास हजार रुपए (iii) 10,000 रुपए (दस हजार रुपए)
12	धारा 62 की उप-धारा (i) के खण्ड (क) के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक द्वारा दिए जाने वाले भुगतान के अंतर्गत शुल्क का निर्धारण (क) (i) परंपरागत ईंधन आधारित (कोयला, तेल आदि) संयंत्र। (ii) परंपरागत हाइड्रो (25 मेगावाट से अधिक) (ख) सह-उत्पादन सहित अपरंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (i) 1 मेगावाट क्षमता से कम (ii) 1 मेगावाट और अधिक की क्षमता (ग) परियोजनाओं के किसी वर्ग के लिए टैरिफ का जेनरिक निर्धारण।	(क) (i)100 मेगावाट तक की क्षमता के लिए 15,00,000 रुपए (पंद्रह लाख रुपए) तथा प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या उसकी क्षमता के भाग के लिए 20,000 रुपए (बीस हजार रुपए)। (क) (ii) मेगावाट तक 7,50,000 रुपए (सात लाख पचास हजार रुपए) तथा प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या उसकी क्षमता के भाग के लिए 10,000 रुपए। ख (i) 50,000 रुपए (पचास हजार रुपए) ख (ii) प्रति मेगावाट क्षमता के लिए 1,00,000 रुपए (एक लाख रुपए), बशर्ते कि अधिकतम सीमा 5,00,000 रुपए (पांच लाख रुपए) हो। (ग) उपर्युक्त (क) और (ख), जैसा लागू हो, पर न्यूनतम देय शुल्क/प्रभार।
13.	धारा 62 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत बिजली के ट्रांसमिशन के लिए टैरिफ के वार्षिक/ आधार वर्ष निर्धारण का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा: बशर्ते कि ऐसा शुल्क देय हो चाहे ऐसा निर्धारण लाइसेंसधारी या अन्य किसी व्यक्ति या आयोग द्वारा स्वत: संज्ञान में लेते हुए किया गया हो।	20,00,000 रुपए (बीस लाख रुपए)
14	धारा 62 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के प्रावधानों के अंतर्गत बिजली की व्हीलिंग के लिए टैरिफ के वार्षिक/आधार वर्ष निर्धारण का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसा शुल्क देय हो, भले ही ऐसा निर्धारण लाइसेंसधारी या अन्य किसी व्यक्ति या आयोग द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए आवेदन देने के कारण हुआ हो।	8,00,000 रुपए (आठ लाख रुपए)
15	धारा 62 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के प्रावधानों के अंतर्गत बिजली की खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ के वार्षिक/आधार वर्ष के निर्धारण का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसा शुल्क देय हो, भले ही ऐसा निर्धारण लाइसेंसधारी या अन्य किसी व्यक्ति या आयोग द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए आवेदन देने के कारण हुआ हो।	प्रति 1000 यूनिटों पर 1 रुपया (एक रुपया) (न्यूनतम 10,00,000 रुपए (दस लाख रुपए)।
16.	बहु-वर्षीय ढांचे के अंतर्गत नियंत्रण अवधि के दौरान लाइसेंसधारी के टैरिफ और निष्पादन की वार्षिक समीक्षा का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा।	10,00,000 रुपए (दस लाख रुपए)।
17.	टैरिफ आदेश या विद्युत क्रय करार या विद्युत प्रापण दर की समीक्षा के लिए आवेदन लाइसेंसधारी द्वारा दिया जाएगा।	टैरिफ के निर्धारण के लिए मूल आवेदन के समय किए गए भुगतान का 10 प्रतिशत।
18	टैरिफ आदेश या विद्युत क्रय करार या विद्युत प्रापण दर की समीक्षा के लिए लाइसेंसधारी के अलावा किसी व्यक्ति या उपभोक्ता/ उपभोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा आवेदन।	50,000 रुपए (पचास हजार रुपए)।

19.	टैरिफ आदेश या विद्युत क्रय करार या विद्युत प्रापण दर की समीक्षा के लिए उपभोक्ता या उपभोक्ता के प्रतिनिधि या विद्युत क्रय करार द्वारा आवेदन।	2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए)
20.	अधिनियम की धारा 45 और धारा 46 के अंतर्गत वितरण लाइसेंसधारी के प्रभारों की अनुसूची के अनुमोदन हेतु आवेदन।	2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए)
21.	लाइसेंसधारी और उत्पादन कंपनियों तथा लाइसेंसधारियों के बीच विवादों के लिए धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अंतर्गत आवेदन, जिन्हें इन विनियमों में कहीं भी कवर न किया गया हो।	10,00,000 रुपए (दस लाख रुपए)
22.	अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अंतर्गत पारित आदेश की समीक्षा हेतु आवेदन।	मूल आदेश के लिए भुगतान किए गए शुल्क का 10 प्रतिशत।
23	आयोग के आदेशों/रिकार्डों के निरीक्षण के लिए आवेदन।	300 रुपए प्रतिदिन जिसकी अवधि 3 घंटे से अधिक न हो।
24	आयोग के दस्तावेजों/ आदेश की प्रतियों की आपूर्ति करना।	10 रुपए प्रति पृष्ठ।
25	आयोग के आदेशों की समीक्षा के लिए आवेदन जिन्हें विनियमों में कवर न किया गया हो।	20,000 रुपए (बीस हजार रुपए)
26	विविध आवेदन अर्थात् इन विनियमों के अंतर्गत कवर न किए गए आवेदन (क) लाइसेंसधारियों द्वारा आवेदन। (ख) कंपनियों द्वारा आवेदन (ग) व्यक्तियों द्वारा आवेदन	(क) 20,000 रुपए (बीस हजार रुपए) (ख) 5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) (ग) 1,000 रुपए (एक हजार रुपए)
27.	उपयोगिता में निवेश के अनुमोदन हेतु याचिका	2,00,000 (दो लाख रुपए)
28	वितरण लाइसेंसधारी माने गए लाइसेंस द्वारा प्रोसेस के अनुमोदन/ विद्युत खरीद/ प्रापण के लिए याचिका/आवेदन: (क) परंपरागत ईंधन आधारित (कोयला, गैस, तेल आदि) (ख) ऊर्जा के परंपरागत और नवीकरणीय स्रोत।	(क) 2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए) (ख) उपर्युक्त का 50%
29.	लाइसेंस कार्य नियम, 2006 के नियम 3 के उप-नियम 1 के अंतर्गत जिला मैजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या किसी प्राधिकृत अधिकारी के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका।	1,00,000 रुपए (एक लाख रुपए)।
30.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उत्पन्न विवाद (स्ट्रीट, रेलवे आदि की ओपनिंग)।	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए)
31	टैरिफ आदेश की ट्रूइंग के लिए आवेदन, यदि अलग याचिका के रूप में दायर किया गया हो।	2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए)

कीर्ति तिवारी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./218-आई (297)/14]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)

NOTIFICATION

Grugaon, the 11th February, 2015

No. JERC- 1/2009.—In exercise of powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the state of Goa and Union Territories) hereby makes the following amendments in Joint Electricity Regulatory

Commission for the state of Goa & UTs (Conduct of Business) Regulations, 2009 read along with the 1st, 2nd and 3rd amendments of the Principal Regulations.

1. Short title and commencement:

I. These regulations may be called The Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Conduct of Business) (Fourth Amendment) Regulations, 2015.
II. These regulations shall come into force from the date of their publication in Official Gazette.
III. These Regulations shall be applicable in the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep and Puducherry.

2. Amendment in Regulation 6 of the Principal Regulations, 2009

The word ‘prescribe’ in the second sentence of Regulation 6 (i) (a), is substituted by the word ‘specify’.

3. Amendment in Regulation 7 of the Principal Regulations, 2009

I. Heading of Regulation 7 is replaced as “Delegation of Powers and Functions”

II. Regulations 7 (i) and (ii) are substituted by the following:-
The Commission may, by general or special order in writing, delegate to Member, Secretary, Officers of the Commission or any other person subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers under the Act as it deems necessary except, however, the powers to adjudicate disputes under Section 86 and the powers to make regulations under Section 181 of the Electricity Act, 2003.

4. Amendment in Regulation 9 of the Principal Regulations, 2009 (Read along with 3rd Amendment Regulations)

Regulation 9 (ii) and provisos there under are substituted as under:-

“**Regulation 9 (ii) (a):**The quorum for Conduct of Meetings of the Commission for transaction of business and to carry out its functions shall be two. However, if there is only one Member available including the Chairperson of the Commission, the quorum of the proceedings of the Commission shall be one.

Regulation 9 (ii) (b): Where the Chairperson or the Member is unable to attend the duly convened meeting of the Commission, of which he/she has been given prior notice for sufficient reason or in a situation where the position of the Chairperson or the Member is vacant, the Member or the Chairperson as the case may be, shall preside at the meeting and the same shall validly constitute the quorum. No act or proceedings of the Commission and decision taken including review of any previous decisions or orders thus passed shall be questioned or be invalidated on this ground.”

5. Amendment in Regulation 12 of the Principal Regulations, 2009

Following is added at the end of Regulation 12 (iii) of PrincipalRegulations, 2009:-

The fee may also be payable by electronic transfer of money through National Electronic Fund Transfer (NEFT) or Real Time Gross Settlement (RTGS) etc. However, the electronic transfer charges of the bank (including service tax) shall be borne by the petitioner or the person so making the payment to the Commission.

6. Amendment in Regulation 15 of the Principal Regulations, 2009

Following is added after the word ‘Chairperson’ in the first line of Regulation 15 (vii) of PrincipalRegulations, 2009:-

“or the Member in absence of the Chairperson”

7. Amendment in Regulation 16 of the Principal Regulations, 2009 (Read along with 2nd Amendment Regulations)

I. The word “against receipt” is added after the word “messenger” in Regulation 16 (i) (b)
II. Following is added in the beginning of Regulation 16 (i) (e):- “By fax or by E-mail or”
III. Regulation 16 (vi) is substituted by the following:-
Where any petition is required to be published, it shall be published in three (3) newspapers (including the one in vernacular language) in a format approved by the Commission at least twice within a minimum gap of seven (7) days or as the Commission may direct.

Provided that in cases where due to nature of geographical location of the licensee away from the mainland or due to non-availability of newspaper circulation in that location, the petitioner shall have the option to inform or communicate the petition or its highlights to the stakeholders and public at large by any other appropriate means including through public notices or public announcement system or through electronic media.

8. Amendment in Regulation 20 of the Principal Regulations, 2009

The word "requisition" in Regulation 20 (ii) is substituted by the word "requisitioning".

9. Amendment in Regulation 22 of the Principal Regulations, 2009

Following is added after the word 'Orders' in the first line of Regulation 22 (II) of Principal Regulations, 2009 :—

"including comments of the dissenting member, if any"

10. Amendment in Regulation 25 of the Principal Regulations, 2009

Regulation 25 (x), the figure appearing as 'Rupees 3'/- is substituted by "Rupees 10"/-

11. Amendment in Regulation 27 of the Principal Regulations, 2009

Regulation 27 (i) (b) of the Principal Regulations, 2009 is substituted by the following:-

"**b (i)** The commission may, on being satisfied that a licensee has failed to comply with any of the conditions of the licence or a generating company or a licensee has failed to comply with any of the provisions of the Act or the rules or regulations made thereunder, at any time, by order in writing, direct any person (Investigating Authority) specified in the order to investigate the affairs of the generating company or licensee and to report to the Commission on any investigation made by such person / Investigating Authority.

Provided that the Investigating Authority as specified in the order of the Commission may, wherever necessary, employ any auditor or any other person for the purpose of assistance in any investigation under this regulation.

b (ii) The Commission may specify the minimum information to be maintained by the licensee or the generating company in their books, the manner in which such information shall be maintained, the checks and other verification to be adopted by the licensee or the generating company in that connection and all other matters incidental thereto as are, in its opinion, necessary to enable the Investigating Authority to discharge its function satisfactorily.

b (iii) Investigation in the affairs of the licensee or the generating company ordered by the Commission shall be made keeping in view the provisions contained under Section 128 of the Act.

b (iv) All expenses of, and incidental there to, any investigation made under this regulation shall be defrayed by the licensee or the generating company, as the case may be, and shall have the priority over the debts due from the licensee or the generating company and shall be recoverable as arrears of land revenue."

12. Amendment in Regulation 29 of the Principal Regulations, 2009

The word "two (2)" is substituted by the word "three (3)" in second line of Regulation 29 (i).

13. Amendment in Regulation 30 of the Principal Regulations, 2009

Following is added as Regulation 30 (iv) in the end of Regulation 30 (iii) of thePrincipal Regulations, 2009:-

Regulation 30 (iv):—"If any licensee or a generating company recovers a price or charge exceeding the tariff determined by the Commission, the excess amount shall be recoverable by a person who has paid such a price or charge, along with interest equivalent to the bank rate as applicable at the time of payment without prejudice to any other liability incurred by the licensee or the generating company".

14. Amendment in Regulation 32 of the Principal Regulations, 2009

The word 'generally' appearing in regulation 32 (i) is substituted by the word "ordinarily", and after the word 'more', the word 'frequently' is added.

15. Amendment in Regulation 33 of the Principal Regulations, 2009

Regulation 33 of the Principal Regulations, 2009 is substituted by the following:-

"While determining the retail tariff under the Act and the rules and regulations, the Commission shall not show undue preference to any consumer or class of consumers, but may differentiate or set differential tariff according to the consumer's load factor, power factor, voltage, total consumption of electricity during any

specified period or time at which the supply is required or geographical nature of any area, the nature and purpose for which the supply is required."

16. Amendment in Regulation 36 of the Principal Regulations, 2009

Regulation 36 (i): The figure "36 (iv) (b)" is substituted by the figures and word "35(iv) (b) and 35 (iv) (j)".

17. Amendment in Regulation 61 of the Principal Regulations, 2009

I. Heading of Regulation 61 is replaced as "Standard of Performance of Licensee"

II. Following is added at the end of Regulation 61:-
"Licensee shall have to ensure compliance in this matter in accordance with Sections 57 to 59 of the Act."

18. Amendment in Regulation 65 of the Principal Regulations, 2009

Following is added after the word 'Companies' in the first line of Regulation 65 (i):-
"or between any one of them as the case may be" and the word 'being' is replaced by the word 'are'

19. Amendment in Regulation 73 of the Principal Regulations, 2009

I. Regulation 73 (f) (iv) :The words 'consumer rights, settlement' are substituted by the words 'Consumer Rights Statement'.

II. The word 'and' in Regulation 73(f) (viii) is deleted.

III. Regulation 73 (f) (x) to Regulation 73 (f) (xii) are added at the end of Regulation 73 (f) (ix) as under:-
"73 (f) (x) Intra-State/ UT Electricity Trading,
73 (f) (xi) Procurement of Renewable Energy and meeting Renewable Purchase Obligation (RPO) targets and;
73 (f) (xii) Any other code as the Commission may deem necessary."

20. Amendment in Regulation 74 of the Principal Regulations, 2009

I. FollowingRegulation 74 (A) is added:-

Regulation 74 (A) Time limit for disposal of petition other than Review Petitions:-

Save as otherwise provided in the Electricity Act, 2003 with regard to Tariff petitions and applications for grant or in the procedure for holding Inquiry by Adjudicating Officer in respect of proceedings under Section 143 of the Electricity Act, 2003, the Commission shall dispose of the petitions finally within a period of six months from the date of admission.

Provided that where the petitions are not disposed of within six months, the Commission shall record the reasons for the time taken for disposal of the petitions.

II. Regulation 74 of the Principal Regulations, 2009 issubstituted and renumbered as Regulation 74 (B) as under :—

Regulation 74 (B) Review of Decisions, Directions and Orders:-

i. The Commission may, on an application of any of the persons or parties concerned made within 45 days of making such Decisions, Directions or Orders, review such decisions, directions or orders and pass such appropriate orders as the Commission deems fit.

ii. An application for such review shall be filed in the same manner as a Petition under Chapter-II of the principal Regulations.

iii. An application for review shall be listed before the Commission within a period of 15 days from the date of filing such application.

iv. The review petition/ applications shall be disposed of within 15 days from the date of hearing if the review is not admitted and within a period of two months from the date of admission if the application is admitted.
Provided that where the review applications cannot be disposed of within the period as stipulated, the Commission shall record the reasons for the additional time taken for disposal of the review petitions/ applications.

v. Clerical or arithmetical mistakes in the orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the Commission either of its own motion or on the application of any of the parties.

21. Amendment in 'Schedule' of Fees & Charges under Chapter VIII (Fees & Fines) of the Principal Regulations, 2009

The SCHEDULE of Fees & Charges under Regulation 68 of Chapter VIII (Fees & Fines) is substituted as under:—

SCHEDULE

Sl. No.	Description	Fees (in Rupees)
1	Adjudication of dispute regarding availability of transmission facility under the second proviso to sub-section (2) of Section 9 under the Act, to be paid by the person who has referred such dispute to the Commission	Rupees 10,000 (Rupees Ten thousand) for the first 1 MW of transmission capacity sought and Rupees 5000 (Rupees Five thousand) per MW thereafter, subject to a maximum of Rs 5,00,000 (Rupees Five lakh)
2	Initial Licence fee upon grant of Licence under Section 15 of the Act	Rupees 5,00,000 (Rupees Five lakh) as "on account" payment pending determination of fees by the concerned Government
3	Annual Licence Fees: (i) Transmission Licence (ii) Distribution Licence (iii) Trading Licence (iv) Any Other Licence Provided that the annual Licence fee shall be payable in advance, at the commencement of the financial year, by all Licensees including Licensees referred to in the first, second, third, fourth and fifth provisos to Section 14 of the Act: Provided further that in the case of a Transmission Licence, the annual Licence fee shall be calculated based on the approved / estimated aggregate quantum of transmission capacity contracts for the ensuing financial year: Provided also that in the case of a Distribution Licence, the annual Licence fee shall be calculated based on the approved/estimated revenue from the sale of electricity for the ensuing financial year: Provided also that where the actual transmission capacity contracted or actual revenue from the sale of electricity, as the case may be, differs from the approved/estimated level used for the purpose of this Regulation, the excess or shortfall in Licence fee, calculated based on the actual transmission capacity contracted or actual revenue, as the case may be, shall be adjusted against the annual Licence fee for the following year	(i) Rupees 1,000 (Rupees One thousand) per MW of transmission capacity contracts in force during the year or part thereof, subject to a minimum of Rupees 10,00,000 (Rupees Ten Lakh) and maximum of Rupees 20,00,000 (Rupees Twenty lakh) (ii) 0.10 percent of revenues (excluding taxes and duties) from the sale of electricity (iii) As per clause 6.5 of JERC (Electricity Trading) Regulations 2010 (iv) Rupees 1,00,000 (Rupees One lakh)
4	Application seeking prior approval under Section 17 of the Act	0.01 percent of the value of the transaction for which approval is sought, subject to a minimum of Rupees 5,00,000(Rupees Five lakh) and maximum of Rupees 20,00,000(Rupees Twenty lakh)
5	Application for amendment of licence under Section 18 of the Act (i) by Licensee (ii) by any person other than a Licensee	(i) Rupees 1,00,000 (Rupees One lakh) (ii) Rupees 50,000 (Rupees Fifty thousand)

6	Application for amendment of licence under sub-regulation (2) of Section 19 of the Act (i) by Licensee (ii) by any person other than a Licensee	(i) Rupees 10,00,000 (Rupees Ten lakh) (ii) Rupees 1,00,000 (Rupees One lakh)
7	Application under Section 35 of the Act for seeking the use of intervening transmission facilities	Rupees 1, 00,000 (Rupees One lakh)
8	Adjudication of dispute regarding extent of surplus capacity under the proviso to Section 35 of the Act	Rupees 5,00,000 (Rupees Five lakh)
9	Application for determination of rates, charges, terms and conditions under proviso to sub-section (I) of Section 36	Rupees 5,00,000 (Rupees Five lakh)
10	Adjudication of disputes regarding provision of non-discriminatory open access under sub-section (47) of Section 2 read with Section 40 of the Act and regulations specified threunder, not covered above: (i) Referred by a Licensee or by a Generating Company (ii) Referred by person who has constructed and maintains and operates a Captive Generating Plant (iii) Referred by Consumer / Consumer Representative	(i) Rupees 5, 00,000 (Rupees Five lakh). (ii) Rupees 50,000 (Rupees Fifty thousand) (iii) Rupees 10,000 (Rupees Ten thousand)
11	Adjudication of disputes regarding provision of non-discriminatory open access under sub-section (47) of Section 2 read with sub-sections (2), (3) and (4) of Section 42 of the Act and regulations specified threunder: (i) Referred by a Licensee or by a Generating Company, other than a Generating Company referred to in (ii) Below (ii) Referred by a Generating Company directly connected to the distribution system of a Distribution Licensee or by Person who has constructed, maintains and operates a Captive Generating Plant	(i) Rupees 5,00,000 (Rupees Five lakh) (ii) Rupees 50,000 (Rupees Fifty Thousand) (iii) Rupees 10,000 (Rupees Ten thousand)
12	Determination of tariff under the provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 62, to be paid by the applicant: (a)(i) Conventional fuel based (coal, oil etc) Plant (ii) Conventional Hydro (More than 25 MW) (b) Non-conventional & Renewable Sources of Energy, including co-generation (i) Below 1 MW capacity (ii) 1 MW and above capacity (c) Generic Determination of tariff for a class of projects	(a)(i) Rupees 15,00,000 (Rupees Fifteen Lakh) for capacity up to 100 MW and Rupees 20,000 (Twenty thousand) for each additional MW or part thereof of capacity (a)(ii) Rupees. 7,50,000 (Rupees Seven lakh fifty thousand) upto 50MW and Rupees10,000 for each additional MW or part thereof of capacity (b)(i) Rupees 50,000 (Rupees Fifty thousand) (b)(ii) Rupees1,00,000(Rupees One lakh) per MW of capacity, with a ceiling of Rupees 5,00,000(Rupees Five lakh) (c) Lowest of fees/charges payable as at (a) and (b) above, as may be applicable
13	Annual/base year determination of tariff for transmission of electricity under the provisions of clause (b) of sub-section (1) of Section 62, to be paid by Licensee: Provided that such fees are payable whether such determination is upon application by the Licensee or by any other person or suo moto determination by the Commission	Rupees 20,00,000 (Rupees Twenty lakh)
14	Annual / base-year determination of tariff for wheeling of electricity under the provisions of clause (c) of sub-section (1) of Section 62, to be paid by the Licensee Provided that such fees are payable whether such	Rupees 8,00,000 (Rupees Eight lakh)

	determination is upon application by the Licensee or by any other person or suo moto determination by the Commission	
15	Annual/base year determination of tariff for retail sale of electricity under the provisions of clause (d) of sub-section (1) of the Section 62, to be paid by the Licensee Provided that such fees are payable whether such determination is upon application by the Licensee or by any other person or suo moto determination by the Commission	Rupees1(Rupees One) per 1000 units (Minimum Rupees 10,00,000 (Rupees Ten lakh)
16	Annual review of tariffs and performance of the Licensee during the control period under a multi-year tariff framework, to be paid by the Licensee	Rupees 10,00,000 (Rupees Ten lakh)
17	Application for review of Tariff Order or power purchase agreement or power procurement rate be Licensee	10 percent of the fees paid at the time of the original application for determination of tariff
18	Application by a consumer or a Consumer Representative for review of Tariff Order or power purchase agreement or power procurement rate	Rupees 50,000 (Rupees Fifty thousand)
19	Application by a person other than the Licensee or a consumer/Consumer Representative for review of Tariff Order or power purchase agreement or power procurement rate	Rupees 2,00,000 (Rupees Two lakh)
20	Application for approval of the schedule of charges of a Distribution Licensee under Section 45 and Section 46 of the Act	Rupees 2, 00,000 (Rupees Two lakh)
21	Adjudication under clause (f) of sub-section (1) of section 86 of disputes Between licensees and generating companies and between licensees themselves, not covered elsewhere in these Regulations	Rupees 10,00,000 (Rupees Ten lakh)
22	Application for review of Order passed under clause (f) of sub-section (1) of Section 86 of the Act	10 percent of the fee paid for the original order
23	Application for inspection of Orders/Records of the Commission	Rupees 300 per day for a period not exceeding 3 hrs
24	Supply of copies of documents/order of the Commission	Rupees 10 per page
25	Application for review of Orders of Commission not covered in these Regulations	Rupees 20,000 (Rupees Twenty thousand)
26	Miscellaneous applications i.e. application not covered elsewhere in these Regulation (a) Applications by Licensees (b) Applications by entities (c) Applications by Individuals	(a) Rupees 20,000 (Rupees Twenty thousand) (b) Rupees 5,000 (Rupees Five thousand) (c) Rupees 1,000 (Rupees One thousand)
27	Petition for approval of investment in utility	Rupees 2,00,000 (Rupees Two lakh)
28	Petition/Application for approval of process/price for Power Purchase/procurement by distribution licensee/deemed licensee (a) Conventional fuel based (coal, gas, oil etc) (b) Non-conventional & Renewable sources of energy)	(a) Rupees 2, 00,000 (Rupees Two lakh) (b) 50 % of the above

29	Petition for revision against the Order of the District Magistrate or Commissioner of Police or an authorized offices under sub rule 1 of Rule 3 of the Works of Licensees, Rules, 2006	Rupees 1, 00,000 (Rupees One lakh)
30	Dispute arising under Section 67 sub section (4) of the Electricity Act, 2003 (opening of Streets, Railways etc)	Rupees 5,000 (Rupees Five thousand)
31	Application of truing up of tariff order, if filed as separate Petition	Rupees 2, 00,000 (Rupees Two lakh)

KEERTI TEWARI, Secy.

[Advt. III/4/Exty./218-I(297)/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.